संख्या-388/2026/1905/22-2-2024-17(733)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 10 अप्रैल,2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ना लाल पुत्र श्री रामप्रसाद, निवासी जनपद-सम्भल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 16-09-2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी मुन्ना लाल पुत्र श्री रामप्रसाद, मौहल्ला, नवाब खेल, सराय तरीन, थाना-हयातनगर, जनपद-सम्भल का निवासी है। बन्दी द्वारा खेत की मेड़ को लेकर पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 24.09.1982 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चाकू से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-35/1983 में भा०द०वि० की धारा-307/34, 302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के दण्डादेश दिनांक 20.05.1985 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 11.12.2015 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 24.10.2016 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.05.2024 तक अपरिहार 10 वर्ष, 11 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 11 माह, 18 दिन की सजा भोगी गयी है। अपर पुलिस अधीक्षक, सम्भल द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध कारित करने की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं करने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक, सम्भल की आख्या से सहमत होते हुए सिद्धदोष बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ना लाल (बन्दी संख्या-16765) पुत्र श्री रामप्रसाद, निवासी जनपद-सम्भल की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-388/2026/1905(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, संभल।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।